

बिहार सरकार
जन शिकायत कोषांग
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अखिलेश्वर प्रसाद गिरि,
सचिव, जन शिकायत

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव, बिहार, पटना
सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक- 1 फरवरी, 2007

विषय:- आम जनता की शिकायतों/समस्याओं की सुनवाई हेतु सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों के लिए पूर्व निर्धारित दिन एवं समय का पुनर्निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आप अवगत हैं कि सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों के लिए आम जनता की शिकायतों/समस्याओं की सुनवाई के लिए प्रत्येक शनिवार को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 1:00 बजे अपराह्न तक का समय पूर्व में निर्धारित किया गया था। अब 5 दिनों का कार्य-दिवस लागू हो जाने के फलस्वरूप शनिवार को सभी कार्यालय बन्द रहते हैं, फलस्वरूप आम जनता विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष के समक्ष अपनी शिकायतों/समस्याओं को नहीं रख पा रही है।

पूर्ण विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष प्रत्येक शुक्रवार को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 1:00 बजे अपराह्न तक आम जनता की शिकायतों/समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक-1057 दिनांक-13.06.2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अखिलेश्वर प्रसाद गिरि)
सचिव, जन शिकायत

ज्ञापांक- 3/सी०एस०/एम०-33/2005

पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अखिलेश्वर प्रसाद गिरि)
सचिव, जन शिकायत

ज्ञापांक- 3/सी०एस०/एम०-33/2005

पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :-मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना/महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 03.09.08

(अखिलेश्वर प्रसाद गिरि)
सचिव, जन शिकायत